न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः एम0के0 सिंह
सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 1186—दो/14 विरूद्ध आदेश दिनांक 3-4—14 पारित द्वारा अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग ग्वालियर प्रकरण कमांक 123/13—14 अपील.

अरूण कुमार पुत्र श्री प्रकाश नारायण पाण्डे
निवासी थाने के पास आरोन तहसील आरोन
जिला गुना म.प्र. ——— आवेदक

विरूद्ध

रामप्रसाद पुत्र श्री गुलाबसिंह परिहार
ग्राम अमरोद तहसील चन्देरी
जिला अशोकनगर म.प्र. ——— अनावेदक

श्री एस.एल धाकड़, अधिवक्ता, आवेदकगण ।
श्री एस. पी. धाकड़, अधिवक्ता, अनावेदक ।

:: आदेश ::

(आज दिनांक 07/जुलाई, 2014 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के प्रकरण कमांक 123/13—14/अपील मे पारित आदेश दिनांक 3—4—14 के विरूद्ध म.प्र. भू—राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत पेश की गई है ।

2— प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि आवेदक द्वारा तहसीलदार आरोन के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर मांग की गई कि श्रीमती नारायणी बाई पत्नि स्व. तुरसीराम राजपूत का निधन दिनांक 27—10—12 को हुआ है,उन्होंने अपनेजीवनकाल में कस्बा आरोन स्थितभूमि सर्वे नं. 1179 मिन 5 रकबा 0.010 हैक्टर 960 वर्गफुट भूमि एवं मकान की वसीयत उसके पक्ष मे दिनांक 3—10—12 को ही है, इसलिए वसीयत के आधार परउसके पक्ष में नामांतरण किया जाये । तहसीलदार ने उक्त आवेदन पर प्रकरण पंजीबद्ध कर आदेश दिनांक 5—1—13 द्वारा वसीयत के आधार पर आवेदक का नामांतरण

किया गया । इस आदेश के विरूद्ध अनावेदक ने अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील की जो उन्होंने आदेश दिनांक 27--12--13 द्वारा स्वीकार की एवं अनावेदक के पक्ष में नामांतरण के आदेश दिए । इस आदेश के विरूद्ध आवेदक ने अधीनस्थ न्यायालय में द्वितीय अपील पेश की जो अपर आयुक्त ने आलोच्य आदेश द्वारा निरस्त की है।

3-- आवेदक की ओर से उनके अधिवक्ता द्वारा प्रकरण में सुनवाई दिनांक को 10 दिवस मे लिखित बहस पेश करने हेतु समय चाहा गया था । किंतु उनकी ओर से आज दिनांक तक लिखित बहस पेश नहीं की गई है । अतः प्रकरण का निराकरण निगरानी मेमो मे दिए गए तर्कों के आधार पर किया जा रहा है ।

4-- अनावेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया है कि आवेदक मृतक भूमिस्वामी का किराएदार है उसके द्वारा फर्जी वसीयत तैयार की गई है । अनावेदक मृतक भूमिस्वामी का सगा भाई है जबकि आवेदक दूसरी जाति का है । अनावेदक के पास अंतिम वसीयत है और विधि के अनुसार अंतिम वसीयतग्रहीता ही नामांतरण का पात्र होता है । विचारण न्यायालय मे कायवाही विधि विरूद्ध तरीके से की गई है । दोनों अपीलीय न्यायालयों के समवर्ती निर्णय हैं । उनके द्वारा दोनों अपीलीय न्यायालयों के निर्णयों को उचित बताते हुए निगरानी निरस्त किए जाने का निवेदन कियागया है ।

5-- आवेदक की ओर से निगरानी मेमो में दिए गए तर्कों एवं अनावेदक अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत मौखिक तर्कों के परिप्रेक्ष्य मे अभिलेख का अवलोकन किया । यह प्रकरण वसीयत के आधार पर नामांतरण का है । अपर आयुक्त ने प्रकरण के सम्पूर्ण तथ्यों का उल्लेख करते हुए यह पाया है कि प्रकरण मे इश्तहार की जो कार्यवाही हुई है वह संहिता मे वर्णित प्रकिया के अनुसार नहीं है और 2 दिनों में आपत्तियां आमंत्रित की गई इस कारण कार्यवाही दूषित है दूसरे प्रकरण में 6--12--14 को साक्षीगण के कथन लिए गये हैं जबकि इसके लिए प्रकरण नियत नहीं था तहसीलदार की इस कार्यवाही को जल्दबाजी में मानते हुए अपर आयुक्त ने अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा दिए गए निर्णय को स्थिर रखा गया है । अनुविभागीय अधिकारी ने प्रकरण में आई साक्ष्य के आधार पर यह माना है कि प्रथम वसीयत जो अनावेदक के पक्ष में है संदेहास्पद है और अंतिम वसीयत जो वसीयतकर्ता के भाई के पक्ष में है साक्ष्य से प्रमाणित है और इस कारण मृतिका के भाई के पक्ष मे नामांतरण को स्वीकार किया है जिसे अपर आयुक्त ने विस्तृत विवेचना के उपरांत सही

माना है । दोनों अपीलीय न्यायालयों के निर्णय सुसंगत आधारों, औचित्यपूर्ण तथा विधि प्रावधान के अनुसार होने से उनमें किसी हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं है ।

उपरोक्त विवेचना के परिप्रेक्ष्य में यह निगरानी निरस्त की जाती है तथा अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश स्थिर रखा जाता है ।

(एम. के. सिंह)
सदस्य,
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश,
ग्वालियर